

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,  
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines  
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,  
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine Code-38GUJ08274

Date-09/4/2018

मिसिल संख्या : GUJ/Por/Lst-

प्रेषित : Shri Sureshbhai Hamir Bhai Rathod,  
Legal heir of late Hamir bhai Harji bhai Kutana,  
V/P-Amardad, Tq-Ranavav, Porbandar, Gujarat State

विषय:- गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, रानावाव-तालुका, के आदित्यना में स्थित आपकी चूना पत्थर खदान, सर्वे नंबर -190/42, क्षेत्रफल 32.78 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 09/1/2018 को खान मालिक के प्रतिनिधि श्री योगेश भाई की उपस्थिति में किया गया था खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 45(5)(b) & 45(5)(c)	<b>The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner. (b) a monthly return which shall be submitted before the 10<sup>th</sup> day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. © an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</b> <i>In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till date to this office. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through <a href="http://www.ibm.gov.in/index.php/auth/login">www.ibm.gov.in/index.php/auth/login</a>.</i>
Rule 33	<b>The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan &amp; section on or before the 30<sup>th</sup> June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan &amp; section maintained under rule 32 of MCDR, 2017 to this office till date.</b>
Rule 55(1) (3)	<b>A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules.</b>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है। और / या राज्य सरकार से नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है ।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **दिन 45** के भीतर उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एवं खनिज' प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर